185/2023 झमकुदेवी उर्फ पेपोदेवी vs गिरधारीसिंह वगैरा

27/3/24 पत्रावली वकील वादी के प्रार्थनापत्र पर तलब की गई। वकील वादी की ओर से प्रार्थना पत्र वास्तें–विड्रोल करने वाद–पत्र बाबत पेश की गई। जिस पर सुना गया,वकील वादी ने निवेदन किया कि हस्तगत वादपत्र को आगे चलाना नहीं चाहतें है। क्योंकि वादीनी/प्रार्थीनी उक्त भूमि की नेखमबंदी करवानें चाहती है और जिसकी पत्रावली निर्णय हेतु मुर्करर है। अतः वादीनी का वाद जरिए विड्रोल खारिज किया जावें।

हमनें वकील वादीनी को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि वकील वादीनी हस्तगत प्रकरण को आगे चलानें नहीं चाहतें है और प्रकरण में अभी जवाब भी पेश नहीं हो रखा है। ऐसी सूरत में प्रकरण को आगे चलानें का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

लिहाजा वादीनी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीनी का वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हों।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.21 19:12:05 IST
Reason: SelfAttested